#### भारत सरकार

## संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने तथा पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा चलाई जा रही प्रोत्साहन योजनाओं के अन्तर्गत निम्नलिखित के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है:

1. वित्तीय सहायता

(क) मौलिक पुस्तक लेखन : 15,000/-रूपये प्रति पुस्तक (ख) पुस्तकों का अनुवाद : 10,000/-रूपये प्रति पुस्तक

2. मौलिक पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

प्रथम पुरस्कार : 40,000/-रुपये द्वितीय पुरस्कार : 25,000/-रुपये तृतीय पुरस्कार : 15,000/-रुपये प्रोत्साहन पुरस्कार : 10,000/-रुपये

पुस्तक लेखन/अनुवाद के लिए प्रस्ताव वर्ष में किसी भी समय प्रस्तुत किए जा सकते है, जबिक वर्ष 2010 तथा 2011 के दौरान प्रकाशित पुस्तकों पर वर्ष 2011 के राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए निर्धारित फार्म में आवेदन 30 सितम्बर, 2012 तक इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग में प्राप्त हो जाने चाहिएँ।

योजनाओं के ब्यौरे तथा आवेदन-पत्र के लिए कृपया निम्नलिखित पते पर संपर्क करें:

## जगदीश गोकलानी

वरिष्ठ हिन्दी अधिकारी संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003 दूरभाष: 011-24301227, 011-24363116

ई-मेल: goklanijagdish@yahoo.com

आवेदन की अंतिम तिथि 30 सितम्बर, **2012** 

योजनाओं के ब्यौरे तथा आवेदन-पत्र वेबसाइट http://www.mit.gov.in से भी डाउनलोड किए जा सकते हैं।

# Government of India Ministry of Communications and Information Technology Department of Electronics and Information Technology

Proposals are invited under the incentive schemes instituted by the Department of Electronics and Information Technology for encouraging original writing as well as availability of books on Electronics and Information Technology in Hindi.

#### FINANCIAL ASSISTANCE

(a) Writing of original Books : Rs.15,000/- per book (b) Translation of Books : Rs.10,000/- per book

#### 1. NATIONAL AWARDS FOR ORIGINAL BOOKS

First Prize : Rs.40, 000/Second Prize : Rs.25, 000/Third Prize : Rs.15, 000/Consolation Prize : Rs.10, 000/-

Book writing/translation can be submitted any time of the year, while proposals in prescribed form for the **National Awards 2011 on books published during 2010 and 2011** should reach the Department of Electronics and Information Technology by **30 September, 2012**.

For details of the schemes and application forms, please contact:

JAGDISH GOKLANI

Sr. HINDI OFFICER

Ministry of Communications and Information Technology

Department of Electronics and Information

Technology

Government of India Electronics Niketan

6-CGO Complex, Lodi Road

New Delhi-110003

Phone: 011-24301227, 011-24363116 E-mail: goklanijagdish @yahoo.com. Last date of application 30 September, 2012

Details of the schemes & forms may also be downloaded from website http://www.mit.gov.in.

# भारत सरकार संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन 6, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड नई दिल्ली-110003

# इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विषयों पर हिन्दी पुस्तकों के लिए वित्तीय सहायता तथा राष्ट्रीय पुरस्कार योजना

इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तक लेखन को बढ़ावा देने तथा पुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने तीन योजनाएँ तैयार की हैं।

ये योजनाएँ नीचे दिए अनुसार हैं :

पहली योजना: मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित वित्तीय

सहायता योजना ।

द्सरी योजना: पुस्तकों का अनुवाद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित वित्तीय

सहायता योजना।

तीसरी योजना: सर्वोत्कृष्ट मौलिक पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना।

# सामान्य बातें

- 1. दूसरी योजना को छोड़कर सभी योजनाओं में भारत तथा विदेशों में रहने वाले सभी व्यक्ति भाग ले सकेंगे। दूसरी योजना में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कर्मचारी, उनके पित/पत्नी तथा/अथवा रिश्तेदार भाग नहीं ले सकेंगे।
- यदि किसी समय आवश्यक हुआ तो इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को इन योजनाओं में संशोधन करने का अधिकार होगा।
- 3. लेखक/प्रतिभागी निर्धारित प्रपत्र में अपने-अपने आवेदन-पत्र विरष्ठ हिन्दी अधिकारी, संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110003 को भेजेंगे।
- 4. पहली तथा दूसरी योजना के अंतर्गत लिखी/अनूदित पुस्तकों का मुद्रण करवाते समय पुस्तक के समर्पण पृष्ठ पर लेखक द्वारा "यह पुस्तक इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत लिखी/अनूदित की गई है" लिखते हुए आभार व्यक्त किया जाएगा।

# पहली योजना का कार्यान्वयन

- 1. यह योजना प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में सतत रूप से चालू रहेगी और इसमें हर तिमाही में आवेदन-पत्रों पर विचार किया जाएगा।
- 2. लेखक इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के जिस विषय पर पुस्तक लिखना चाहते हैं, हिन्दी में उसकी रूपरेखा तथा अध्यायवार सारांश अपने आवेदन-पत्र/प्रस्ताव के साथ भेजेंगे। प्राप्त प्रस्तावों की जाँच इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा की जाएगी।
- 3. इस समिति द्वारा मूल्यांकन करने के पश्चात जिन प्रस्तावों को इस योजना के लिए उपयुक्त पाया जाएगा उन्हें अनुमोदन प्रदान किया जाएगा और मूल्यांकन समिति के निर्णय के अनुसार पाण्डुलिपि पूरी होने अथवा मुद्रण होने के पश्चात प्रति पुस्तक 15,000/- रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी और साथ ही पुस्तकें लिखने के लिए लेखन सामग्री, टाइपिंग, डायग्राम तथा/अथवा ट्रांसपेरेंसियों आदि के सिलसिले में हुए वास्तविक व्यय की भी प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- 4. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता किन चरणों पर उपलब्ध कराई जाए इसका निर्णय मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया जाएगा।
- 5. इस योजना के अंतर्गत एक वर्ष में अनुदानों की संख्या पर कोई ऊपरी सीमा नहीं होगी लेकिन यह धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।
- प्रस्तावों के चयन के मामले में समिति का निर्णय अन्तिम होगा।
- 7. लेखकों द्वारा कैलेण्डर वर्ष में किसी भी समय प्रस्ताव प्रस्तुत किए जा सकते हैं लेकिन किसी तिमाही के दौरान प्राप्त प्रस्तावों की संख्या के आधार पर मूल्यांकन समिति अपनी बैठकें आयोजित करेगी तथा लेखकों को उचित समय-सीमा के अन्दर निर्णय से अवगत करा दिया जाएगा।
- 8. पाण्डुलिपियों के चयन के बाद लेखकों को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ इस आशय का करार करना होगा कि उक्त कार्य एक उपयुक्त समय-सीमा के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा। उपयुक्त समय-सीमा क्या हो यह लेखक और समिति की पारस्परिक सहमति से तय किया जाएगा।
- 9. पाण्डुलिपियों का चयन करते समय समिति विस्तृत विचार-विमर्श करने के लिए तथा सारांश में सुधार का उचित सुझाव देने के लिए किसी भी लेखक को आवश्यकतानुसार अपनी बैठकों में आमंत्रित कर सकती है।
- 10. यदि किसी प्रस्ताव को भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संस्था अथवा संगठन के द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है तो उस पर इस योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।
- 11. सिमति लेखकों द्वारा पुस्तकें लिखने में की गई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा भी करेगी।
- 12. पुस्तकों का प्रकाशन लेखकों द्वारा स्वयं किया जाएगा तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तथा पुस्तक का प्रतिलिप्याधिकार लेखक/प्रकाशक के पास रहेगा।
- 13. इस योजना के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों की कुछ प्रतियाँ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्वयं खरीदेगा।

# दूसरी योजना का कार्यान्वयन

- 1. यह योजना प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में लागू होगी और हिन्दी तथा अंग्रेजी के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन के जिरए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।
- 2. इस योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी के विभिन्न विषयों पर भारतीय लेखकों द्वारा लिखी पुस्तकों के अनुवाद पर विचार किया जाएगा।
- 3. इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्ताव के साथ मूल लेखक/प्रकाशक से 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' की एक प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न होनी चाहिए । प्रस्तावित पुस्तकों के अनुवाद के मामले में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग मूल लेखक/प्रकाशक और अनुवादक के बीच किसी भी प्रकार के विवाद (कानूनी अथवा अन्य कोई) में शामिल नहीं होगा।
- 4. लेखक जिस पुस्तक का अनुवाद करना चाहते हैं, हिन्दी में उसकी रूपरेखा तथा अध्यायवार सारांश अपने आवेदन-पत्र/प्रस्ताव के साथ भेजेंगे। प्राप्त प्रस्तावों की जाँच इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा गठित मूल्यांकन समिति द्वारा की जाएगी।
- 5. इस समिति द्वारा मूल्यांकन करने के पश्चात जिन प्रस्तावों को इस योजना के लिए उपयुक्त पाया जाएगा उन्हें अनुमोदन प्रदान किया जाएगा और मूल्यांकन समिति के निर्णय के अनुसार पाण्डुलिपि पूरी होने अथवा मुद्रण होने के पश्चात प्रति पुस्तक को 10,000/- रुपए तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
- 6. इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता किन चरणों पर उपलब्ध कराई जाए इसका निर्णय मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर लिया जाएगा।
- 7. इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में केवल दस प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
- प्रस्तावों के चयन के मामले में समिति का निर्णय अन्तिम हेगा।
- 9. पाण्डुलिपियों के चयन के बाद लेखकों को इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के साथ इस आशय का करार करना होगा कि उक्त कार्य एक उपयुक्त समय-सीमा के अन्दर पूरा कर लिया जाएगा। उपयुक्त समय-सीमा क्या हो यह लेखक और समिति की पारस्परिक सहमति से तय किया जाएगा।
- 10. सिमति लेखकों द्वारा पुस्तकों का अनुवाद करने में की गई प्रगति की समय-समय पर समीक्षा भी करेगी।
- 11. पुस्तकों का प्रकाशन लेखकों द्वारा स्वयं किया जाएगा तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेगा तथा पुस्तक का प्रतिलिप्याधिकार लेखक/प्रकाशक के पास रहेगा।
- 12. इस योजना के अंतर्गत प्रकाशित पुस्तकों की कुछ प्रतियाँ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग स्वयं खरीदेगा।

# तीसरी योजना का कार्यान्वयन

- 1. यह योजना प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में लागू होगी और हिन्दी तथा अंग्रेजी के प्रमुख समाचार-पत्रों में विज्ञापन के जिरए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाएंगे।
- 2. केवल इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी की किसी भी विधा पर मूल रूप से हिन्दी में लिखी पुस्तकों पर ही विचार किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत विचार की जाने वाली पुस्तकों के प्रकाशन की अविध विज्ञापन में अधिसूचित की जाएगी।
- 3. लेखक अपने प्रस्ताव के साथ इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग को अपनी प्रकाशित पुस्तकों की चार (4) प्रतियां भेजेगा, जिसका मूल्यांकन इस प्रयोजन से गठित एक मूल्यांकन समिति द्वारा किया जाएगा। पुरस्कारों में एक प्रशस्ति-पत्र तथा नीचे दिए अनुसार नकद पुरस्कार शामिल होंगे:-

प्रथम पुरस्कार : 40,000/- रुपए
 द्वितीय पुरस्कार : 25,000/- रुपए
 तृतीय पुरस्कार : 15,000/- रुपए
 प्रोत्साहन पुरस्कार : 10,000/- रुपए

- 4. यदि किसी वर्ष में किसी प्रस्ताव को समुचित स्तर का नहीं पाया जाता तो हो सकता है कि उस वर्ष कोई अथवा सभी पुरस्कार न प्रदान किए जाएं। इस विषय में मूल्यांकन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- 5. पहली योजना के अंतर्गत लिखी गई पुस्तकें भी इस योजना के अंतर्गत अन्य प्रस्तावों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं (जिसके लिए लेखकों को निर्धारित प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी) और उपर्युक्त नकद पुरस्कार वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होंगे।
- 6. जिन पुस्तकों पर किसी वर्ष में पुरस्कार प्रदान करने के लिए विचार कर लिया गया है, उन पर बाद के वर्षों में दुबारा विचार नहीं किया जाएगा।
- एक कैलेण्डर वर्ष में किसी भी लेखक के एक से अधिक प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 8. यदि किसी पुस्तक को भारत सरकार अथवा किसी राज्य सरकार अथवा किसी अन्य संस्था अथवा संगठन द्वारा चलाई जा रही किसी अन्य योजना के अंतर्गत पहले ही कोई पुरस्कार मिल चुका है तो उस पर इस योजना के अंतर्गत विचार नहीं किया जाएगा।

# मूल्यांकन समिति

मूल्यांकन समिति तथा/अथवा इसकी उप-समितियों का गठन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। यदि इन समितियों के किसी सदस्य अथवा उसके परिवार के किसी सदस्य/सदस्यों के प्रस्ताव पर उपर्युक्त किसी भी योजना के अंतर्गत विचार किया जाना है तो उस स्थिति में वह किसी भी समिति/समितियों का सदस्य नहीं रहेगा।

#### **Government of India**

# Ministry of Communications and Information Technology Department of Electronics and Information Technology Electronics Niketan

6, CGO Complex, Lodhi Road New Delhi-110003

# SCHEME FOR FINANCIAL ASSISTANCE AND NATIONAL AWARDS FOR BOOKS ON ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY IN HINDI

The Department of Electronics & Information Technology, Government of India have instituted three schemes for encouraging original writing as well as availability of books on Electronics and Information Technology in Hindi.

#### These are as under:

Scheme I: Department of Electronics & Information Technology sponsored Financial Assistance Scheme for

Writing Original Books.

Scheme II: Department of Electronics & Information Technology sponsored Financial Assistance Scheme

for Translation of Books

Scheme III: National Awards Scheme for the Best Original Books.

### **GENERAL**

- 1. All the Schemes are open to all in India and abroad, except Scheme II where the employees of the Department of Electronics & Information Technology, their spouses and/or relatives shall not be eligible to participate.
- 2. The Department of Electronics & Information Technology reserves the right to modify the schemes, if found necessary, at any stage.
- 3. The authors/participants will be required to submit application in prescribed form addressed to the Sr. Hindi Officer, Ministry of Communications and Information Technology, Department of Electronics & Information Technology, Electronics Niketan, 6, CGO Complex, New Delhi-110003.
- 4. While printing the books written/translated under Scheme I and Scheme II, it shall be acknowledged by the author in the dedication page of the book as, "This book has been written/translated under the Financial Assistance Scheme of the Department of Electronics & Information Technology".

## **IMPLEMENTATION OF SCHEME I**

- 1. The Scheme is of concurrent feature running from quarter to quarter in each calendar year.
- 2. The authors would be required to submit proposals together with outline and chapter-wise synopsis in Hindi of the books on any discipline of Electronics and Information Technology proposed to be written. The proposals received will be examined by an Evaluation Committee set up by the Department of Electronics & Information Technology.
- After evaluation by this Committee, the proposals found suitable for the scheme would be accorded approval and granted financial assistance, after completion of manuscript or printing, as may be decided by the Evaluation Committee, upto Rs.15,000/- per book plus reimbursement of actual expenses incurred on stationery, typing, diagrams and/or transparencies etc.
- 4. Stages of release of financial assistance under this scheme will be in accordance with the recommendations of the Evaluation Committee.
- 5. There will be no restriction on the number of grants for this scheme in a year, subject to availability of funds.
- 6. The decision of the Evaluation Committee in the matter of selection of proposals shall be final.
- 7. The authors can submit proposals at any time of the calendar year but the Evaluation Committee would meet depending upon the number of proposals received during the particular quarter and the authors informed of the decisions of the Committee within a reasonable time.
- 8. After selection of the manuscripts, the authors will be required to enter into an agreement with the Department of Electronics & Information Technology to the effect that the work will be completed within a reasonable time to be mutually agreed upon between the author and the Committee.
- 9. In the process of selection of the proposals, the Committee may invite any author to its meetings for detailed discussions, if required, and make suitable suggestions for improving upon the synopsis.
- 10. A proposal, which has received any financial assistance/grant under any other scheme operated by the Government of India or any State Government or any other body or organisation, will not be considered under this scheme.
- 11. The Committee will also from time to time review the progress made by the authors in writing books.
- 12. For publication of such books, it shall be done by the authors themselves and the Department of Information Technology shall not take any liability to do so and its copyright will remain with the author/publisher.
- 13. The Department of Electronics & Information Technology itself would purchase a few copies of the books published under this scheme.

## **IMPLEMENTATION OF SCHEME II**

- 1. The scheme will be operated in each calendar year and the proposals would be invited through advertisements in major national dailies in Hindi and English.
- 2. Only the books written by Indian authors on various fields of Electronics and Information Technology will be considered for translation under this scheme.
- 3. The proposals under this scheme should accompany a certified copy of "No Objection certificate' from the original author/publisher. The Department of Electronics & Information Technology shall not be involved in any dispute (legal or otherwise) between the original author/publisher and the translator in translation of the proposed books.
- 4. The authors would be required to submit proposals together with outline and chapter-wise synopsis in Hindi of the books proposed to be translated. The proposals received will be examined by the Evaluation Committee set up by the Department of Electronics & Information Technology.
- 5. After evaluation by this Committee, the proposals found suitable for the scheme would be accorded approval and granted financial assistance, after completion of manuscript or printing, as may be decided by the Evaluation Committee, upto 10,000/- per book.
- 6. Stages of release of financial assistance under this scheme will be in accordance with the recommendations of the Evaluation Committee.
- 7. Only ten (10) proposals in a calendar year shall be considered under this scheme.
- 8. The decision of the Evaluation Committee in the matter of selection of proposals shall be final.
- 9. After selection of the manuscripts, the authors will be required to enter into an agreement with the Department of Electronics & Information Technology to the effect that the work will be completed within a reasonable time to be mutually agreed upon between the author and the Committee.
- 10. The Committee will also from time to time review the progress made by the authors in translating the books.
- 11. Publication of such books shall be done by the authors themselves and the Department of Electronics & Information Technology shall not take any liability and its copyright will remain with the author/publisher.
- 12. The Department of Electronics & Information Technology itself would purchase few copies of the books published under this scheme.

## **IMPLEMENTATION OF SCHEME III**

- 1. The scheme will be operated in each calendar year and the proposals would be invited through advertisements in major national dailies in Hindi and English.
- 2. Books originally written in Hindi in any discipline of Electronics and Information Technology shall only be considered. The period of publication for consideration under the scheme shall be notified in the advertisements.
- 3. The authors shall be required to submit **four (4) copies of their published work** to the Department of Electronics & Information Technology alongwith their proposal which would be considered by an Evaluation Committee set up for the purpose. The awards will consist of commendation certificates and cash prizes as under:-

 1.
 First Prize
 :
 Rs. 40,000/ 

 2.
 Second Prize
 :
 Rs. 25,000/ 

 3.
 Third Prize
 :
 Rs. 15,000/ 

 4.
 Consolation Prize
 :
 Rs. 10,000/ 

- 4. If in any year, any proposal is not found to be of appropriate standard, any or all prizes may not be awarded. The decision of the Evaluation Committee shall be final.
- 5. The books written under Scheme I above will also be eligible to compete in this scheme alongwith others (for which the authors would be required to follow prescribed procedure) and the cash prizes, as above, would be in addition to the financial assistance.
- 6. Proposals considered for award in a year shall not be considered in any subsequent year.
- 7. More than ONE proposal in one calendar year from the same author shall not be considered.
- 8. Any book which has already received any award under any scheme operated by the Government of India or any State Government or any other body or organisation, shall not be eligible for consideration of award under this scheme.

## **EVALUATION COMMITTEE**

Evaluation Committee and/or Sub-Committees thereof shall be set up by the Department of Electronics & Information Technology. If a member of any of these Committees or his family member(s) is/are to be considered under any of these schemes, he/she shall cease to be a member of any of the Committees.

#### भारत सरकार/Government of India

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/Ministry of Communications and Information Technology इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/Department of Electronics & Information Technology इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स/Electronics Niketan, 6 CGO Complex नई दिल्ली/New Delhi -110003

# पहली योजना के लिए आवेदन पत्र/APPLICATION FORM FOR SCHEME।

इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विषयों पर हिन्दी में मौलिक पुस्तकें लिखने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत प्रविष्टियां भेजने के लिए लेखकों द्वारा भरा जानेवाला प्रपत्र

TO BE FILLED IN FOR SENDING ENTRIES FOR DEPARTMENT OF ELCTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY SPONSORED FINANCIAL ASSISTANCE SCHEME FOR WRITING ORIGINAL BOOKS ON ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY IN HINDI

- आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
   Name of the applicant in full (CAPITALS)
- 2. आयु/Age
- 3. स्थायी पता/Permanent address
- 4. पत्र-व्यवहार का पता/Address for correspondence
- 5. वर्तमान व्यवसाय/Present occupation
- 6. शैक्षणिक अर्हताएँ/Educational Qualifications
- 7. अनुभव/Experience
- 8. मातृभाषा/Mother tongue
- 9. प्रस्तावित पुस्तक का शीर्षक/Title of the proposed book
- 10. पुस्तक का विषय/Subject of the book (सामान्य इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी की कोई विशिष्ट शाखा General Electronics/Information Technology or any specific branch of Electronics/Information Technology)
- पुस्तक किस वर्ग के पाठकों के लिए है
   (अर्थात प्राथिमक विद्यालय/हाई स्कूल/ इन्टरमीडिएट/स्नातक स्तर/व्यवसायविद/जनसाधारण)

Target group of readers (e.g. Primary School/High School/ Intermediate/Degree level/Professionals/General Public)

12. क्या अध्यायवार सारांश संलग्न है ?

Whether chapter-wise synopsis is enclosed?

13. क्या आवेदक को इस पुस्तक के लिए किसी अन्य सरकारी विभाग अथवा अभिकरण से कोई वित्तीय सहायता मिली है/मिल रही है ? यदि हाँ तो :

Has the applicant received/been receiving financial assistance for this work from any other Government Deptt./Agency? If yes:

- (क) विभाग/अभिकरण का नाम Name of the Department/Agency
- (ख) कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई/प्राप्त होने की संभावना है Amount of Financial assistance received/likely to be received
- (ग) किस वर्ष में प्राप्त हुई/Year in which received
- 14. आवेदक के इसके पूर्व के प्रकाशनों के ब्यौरे, यदि कोई हों तो (यदि आवश्यक हो तो अलग सूची संलग्न की जा सकती है)

  Details of earlier publications of the applicant, if any (A separate list may be attached, if necessary)
- 15. कोई अन्य सूचना जो लेखक देना उचित समझते हैं

  Any other information which according to the author may be relevant
- 16. घोषणा/Declaration :
- (क) मैंने इस योजना की शर्तें तथा विनियम पढ़ लिए हैं और ये मुझे पूर्णत: मान्य हैं।

I have read the terms and conditions of the scheme and I fully agree to abide by the same.

- (ख) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कॉपीराइट अधिनियम तथा/अथवा इसी प्रकार के किसी अधिनियम/कानून, जो भी लागू हो, का उल्लंघन नहीं करूँगा/करूँगी और इस पुस्तक के संबंध में यदि किसी समय मेरे खिलाफ अधिनियम/कानून के उल्लंघन का कोई आरोप लगाया जाता है तो मैं उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी। I declare that I shall not violate the Copyright Act and/or any such other Act/Law in force and I shall be solely responsible for the violation charges, if made against this work.
- (ग) मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस फार्म में दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं।

I further declare that the particulars furnished in this form are true to the best of my knowledge and belief.

त्थान :	हस्ताक्षर :
Place :	Signature :
नारीख/Date :	⊒Ⅲ/N
IIKIM/Date:	नाम/Name :

जिस प्रस्ताव के साथ अध्याय-वार सारांश संलग्न नहीं होगा उसे अस्वीकार किया जा सकता है Proposals not accompanied with chapter-wise synopsis are liable to be rejected

## भारत सरकार/Government of India

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/Ministry of Communications and Information Technology **इलेक्ट्रॉनिकी और** सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/Department of Electronics & Information Technology इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स/Electronics Niketan, 6 CGO Complex नई दिल्ली/New Delhi -110003

# दूसरी योजना के लिए आवेदन पत्र/APPLICATION FORM FOR SCHEME II

इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विषयों पर पुस्तकों का हिन्दी में अनुवाद करने के लिए इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत प्रविष्टियां भेजने के लिए लेखकों द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र

TO BE FILLED IN FOR SENDING ENTRIES FOR DEPARTMENT OF ELCTRONICS & INFORMATION TECHNOLOGY SPONSORED FINANCIAL ASSISTANCE SCHEME FOR TRANSLATION OF BOOKS ON ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY IN HINDI

- आवेदक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
   Name of the applicant in full (CAPITALS)
- 2. आयु/Age
- 3. स्थायी पता/Permanent address
- 4. पत्र-व्यवहार का पता/Address for correspondence
- 5. वर्तमान व्यवसाय/Present occupation
- 6. शैक्षणिक अर्हताएँ/Educational Qualifications
- अनुभव/Experience
- 8. मातृभाषा/Mother tongue
- अनुवाद के लिए प्रस्तावित पुस्तक का शीर्षक/
   Title of the book proposed for translation
- 10. पुस्तक का विषय/Subject of the book (सामान्य इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी अथवा इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी की कोई विशिष्ट शाखा General Electronics/Information Technology or any specific branch of Electronics/Information Technology)
- 11. पुस्तक किस वर्ग के पाठकों के लिए है (अर्थात प्राथमिक विद्यालय/हाई स्कूल/ इन्टरमीडिएट/स्नातक स्तर/व्यवसायविद/जनसाधारण) Target group of readers (e.g. Primary School/High School/ Intermediate/Degree level/Professionals/General Public)

12. क्या अध्यायवार सारांश संलग्न है ?

Whether chapter-wise synopsis is enclosed.

- 13. मूल पुस्तक के बारे में जानकारी/Information about the original book
  - (क) शीर्षक/Title
  - (ख) लेखक का नाम/Name of the author
  - (ग) प्रकाशक का नाम/Name of the publisher
  - (घ) प्रथम प्रकाशन का वर्ष/Year of first publication
- 14. क्या आवेदक ने इस कार्य को शुरू करने के लिए मूल लेखक/प्रकाशक की लिखित अनुमित प्राप्त कर ली है ? यदि हाँ, तो क्या अनापत्ति प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है ?

Has the applicant obtained written permission from the original author/publisher for undertaking this work? If yes, whether a certified copy of No Objection Certificate is enclosed.

- 15. आवेदक के इसके पूर्व के प्रकाशनों के ब्यौरे, यदि कोई हों तो (यदि आवश्यक हो तो अलग सूची संलग्न की जा सकती है)

  Details of earlier publications of the applicant, if any (A separate list may be attached, if necessary)
- 16. क्या आवेदक अथवा उनके पित/पत्नी अथवा कोई रिश्तेदार सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के कर्मचारी हैं ? यदि हाँ, तो उनका नाम Is the applicant or his/her spouse or any relative is an employee of the Deptt. of Information Technology ? If yes, please give his name.
- कोई अन्य सूचना जो लेखक देना उचित समझते हैं
   Any other information which according to the author may be relevant
- 18. घोषणा/Declaration :

तारीख/Date:

(क) मैंने इस योजना की शर्तें तथा विनियम पढ़ लिए हैं और ये मुझे पूर्णत: मान्य हैं।

I have read the terms and conditions of the scheme and I fully agree to abide by the same.

- (ख) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मैं कॉपीराइट अधिनियम तथा/अथवा इसी प्रकार के किसी अधिनियम/कानून का उल्लंघन नहीं करूँगा/करूँगी और इस पुस्तक के संबंध में यदि किसी समय मेरे खिलाफ अधिनियम/कानून के उल्लंघन का कोई आरोप लगाया जाता है तो मैं उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।
  - I declare that I shall not violate the Copyright Act and/or any such other Act/Law in force and I shall be solely responsible for violation charges, if made against this work.
- मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस फार्म में दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं।
   I further declare that the particulars furnished in this form are true to the best of my knowledge and belief.

स्थान/Place :	हस्ताक्षर/Signature :	

जिस प्रस्ताव के साथ अध्याय-वार सारांश तथा मूल लेखक/प्रकाशक से अनापित प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न नहीं होगी उसे अस्वीकार किया जा सकता है

नाम/Name:

Proposals not accompanied with chapter-wise synopsis and certified copy of No Objection Certificate from the original author/publisher are liable to be rejected

#### भारत सरकार/Government of India

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय/Ministry of Communications and Information Technology इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग/Department of Electronics & Information Technology इलेक्ट्रॉनिक्स निकेतन, 6 सीजीओ कॉम्प्लेक्स/Electronics Niketan, 6 CGO Complex नई दिल्ली/New Delhi -110003

# तीसरी योजना के लिए आवेदन पत्र/APPLICATION FORM FOR SCHEME III

इलेक्ट्रॉनिकी तथा सूचना प्रौद्योगिकी विषयों पर हिन्दी में सर्वोत्कृष्ट मौलिक पुस्तकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना के अंतर्गत प्रविष्टियां भेजने के लिए लेखकों द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र TO BE FILLED IN FOR SENDING ENTRIES FOR THE NATIONAL AWARD SCHEME FOR THE BEST ORIGINAL BOOKS ON ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY IN HINDI

- लेखक का पूरा नाम (स्पष्ट अक्षरों में)
   Name of the author in full (CAPITALS)
- 2. आयु/Age
- 3. स्थायी पता/Permanent address
- 4. पत्र-व्यवहार का पता/Address for correspondence
- 5. वर्तमान व्यवसाय/Present occupation
- 6. शैक्षणिक अर्हताएँ/Educational Qualifications
- अनुभव/Experience
- 8. मातृभाषा/Mother tongue
- 9. पुस्तक का शीर्षक/Title of the book
- पुस्तक का विषय/Subject of the book
  (सामान्य इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी अथवा
  इलेक्ट्रॉनिकी/सूचना प्रौद्योगिकी की कोई विशिष्ट शाखा
  General Electronics/Information Technology or any
  specific branch of Electronics/Information Technology)
- 11. पुस्तक किस वर्ग के पाठकों के लिए है
  (अर्थात प्राथमिक विद्यालय/हाई स्कूल/इन्टरमीडिएट/ स्नातक स्तर/व्यवसायविद/जनसाधारण)
  Target group of readers (e.g. Primary School/High School/ Intermediate/Degree level/Professionals/General Public)

- 12. प्रकाशक का नाम तथा पता, प्रकाशन का वर्ष और अब तक बेची गई प्रतियों की अनुमानित संख्या Name and address of the publisher, year of publication and approximate number of copies sold so far
- 13. क्या इस पुस्तक को भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा किसी अभिकरण की किसी अन्य योजना के अंतर्गत पहले ही पुरस्कृत किया जा चुका है ? यदि हाँ तो :

Has the book already received any award under any other scheme of the Govt. of India/State Government or any other Agency? If yes

- (क) विभाग/अभिकरण का नाम Name of the Department/Agency
- (ख) पुरस्कार की श्रेणी तथा राशि

  Category and amount of award
- (ग) किस वर्ष पुरस्कृत किया गया Year in which the award was given
- 14. पहले के प्रकाशनों के ब्यौरे, यदि कोई हो तो (यदि आवश्यक हो तो अलग सूची संलग्न की जा सकती है।)

  Details of earlier publications, if any (A separate list may be attached, if necessary)
- कोई अन्य सूचना जो लेखक देना उचित समझते हैं
   Any other information which according to the author may be relevant
- 16. घोषणा/Declaration :
- (क) मैंने इस योजना की शर्तें तथा विनियम पढ़ लिए हैं और ये मुझे पूर्णत: मान्य हैं।

I have read the terms and conditions of the scheme and I fully agree to abide by the same.

- (ख) मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि यह पुस्तक मेरी मौलिक रचना है तथा मैंने कॉपीराइट अधिनियम तथा/अथवा इसी प्रकार के किसी अधिनियम/कानून, जो भी लागू हों, का उल्लंघन नहीं किया है और इस पुस्तक के संबंध में यदि किसी समय मेरे खिलाफ अधिनियम/कानून के उल्लंघन का कोई आरोप लगाया जाता है तो मैं उसके लिए स्वयं जिम्मेदार रहुँगा/रहुँगी।
  - I declare that the book has been written by me as an original work and I have not violate the Copyright Act and/or any such other Act/Law in force and that I shall be solely responsible for violation charges, if made against this work.
- मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस फार्म में दिए गए विवरण मेरी सर्वोत्तम जानकारी तथा विश्वास के अनुसार सही हैं।
   I further declare that the particulars furnished in this form are true to the best of my knowledge and belief.

स्थान/Place :	हस्ताक्षर /Signature :
तारीख/Date :	नाम /Name :

इस प्रपत्र के साथ पुस्तक की चार प्रतियाँ संलग्न की जाएँ Four copies of the book should be enclosed with this form